

# कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीफर) राज.

क्रमांक:नगश्रीमा/2021-22/ ५८८

दिनांक: १५/०२/२०२२

## एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15.02.2022 को प्रातः 10.30 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यों की उपस्थिति रही :-

- |  |                                   |                              |   |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 1. श्रीमान अधिशारी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर    | (हरिनारायण)<br>(रेजत जैन)         | (अध्यक्ष)<br>(गो. अजहर जादु) | उपस्थित।                                    |
| 2. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर | (सदस्य सचिव)                      | (सदस्य)                      | उपस्थित।                                    |
| 3. श्रीमान कनिष्ठ अधियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर    | (लोकेश नितारबाल)                  | (सदस्य)                      | उपस्थित।                                    |
| 4. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर       | (स्क्षपाल रघुभी)<br>(निश्चल बनजी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य)       | उपस्थित।<br>(विशेष आमंत्रित सदस्य) उपस्थित। |
| 5. श्रीमान लेखा प्रमाणी नगर पालिका श्रीमाधोपुर       |                                   |                              |   |
| 6. श्रीमान लेखा प्रमाणी नगर पालिका श्रीमाधोपुर       |                                   |                              |   |

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय हारा उक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय की

आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेंडा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :-

- श्री कजोड़मल पुत्र श्री परसाराम जाट एवं श्री सुण्डराम पुत्र श्री मोटूराम जाट वार्ड नं. 17 सीकर घाजर श्रीमाधोपुर में स्थान के स्थानित के भूखण्ड क्षेत्रफल 75.11 वर्गमान पर व्यावसायिक निर्माण स्थीकृति के अनुमोदन पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदरस्य सचिव अधिशारी अधिकारी हारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री कजोड़मल पुत्र श्री परसाराम जाट एवं श्री सुण्डराम पुत्र श्री मोटूराम जाट वार्ड नं. 17 सीकर घाजर श्रीमाधोपुर में स्थान के स्थानित के भूखण्ड पर क्षेत्रफल 75.11 वर्गमान व्यावसायिक निर्माण स्थीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपञ्च में दिनांक 27.12.2021 को प्रस्तुत किया गया । जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई । जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपति प्राप्त नहीं हुई । कनिष्ठ अधियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर हारा दिनांक 05.01.22 की आवासीय भवन निर्माण स्थीकृति हेतु तकनीकी मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड मास्टर लान-2031 में आवासीय आरक्षित है । मौके पर भूखण्ड में कोई निर्माण नहीं है । भवन विनियम-2020 के अनुसार उक्त भूखण्ड पर सेटबैक अग्र 3 मीटर छोड़ते हुए अधिकतम उच्चाई ४ मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्थीकृति (भूतल) अनुशेय की जा सकती है । भूमि शाखा प्रमाणी एवं वरिष्ठ लिपिक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार भूखण्ड पर आवेदक का स्थानित सिद्ध हो रहा है ।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री कजोड़मल पुत्र श्री परसाराम जाट एवं श्री सुण्डराम पुत्र श्री मोटूराम जाट वार्ड नं. 17 सीकर घाजर श्रीमाधोपुर में स्थान के स्थानित के उक्त भूखण्ड पर सैटबैक अग्र 3 मीटर छोड़ते हुए

अधिकतम उच्चोई ४ मीटर तक आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति (भूतल) जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. श्रीमती गीता देवी पल्ली कर्जोड़मल चौटिया ह्वार स्थान के खासियत के आदेहित भगवण का अनेक ग्रन्थ द्वारा

आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सत्स्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा ग्रान्ट एवं 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 13.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूखना 01 साल स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 80 प्रतिशत निर्माण अवधित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आसक्ति है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्थानिक रिहू हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का एटेंट ग्रान्ट एवं 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 32.51 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिकम्पण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिकम्पण आवेदक के खर्चे पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्रीमती गीता देवी पत्नी कजोड़गाल चोटिया से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का एटेट घान्ट एकट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 39.51 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. श्री महेन्द्र कुमावत, श्री महेश कुमार कुमावत पुत्रगण श्री शंकर लाल कुमावत हारा ख्यां के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिकारी आविकारी हारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमावत, श्री महेश कुमार कुमावत पुत्रगण श्री शंकर लाल कुमावत हारा ख्यां के खामिल के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर हारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 60 प्रतिशत निर्माण अवधिरित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित धोत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर लान-2031 में आवासीय आसक्ति है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक हारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक हारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व

Q15  
15/02/2022

सर के जौ जू जू जू जू  
जू जू जू जू जू जू

सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 117.24 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके आतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिकमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया

किसी भी प्रकार का अतिकमण आवेदक के ख्यें पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री महेश कुमार कुमावत, श्री शंकर लाल

कुमावत से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा लाल किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. श्री राजेश कुमार आचार्य पुत्र श्री सियाराम आचार्य द्वारा ख्यें के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशारी अधिकारी द्वारा आवगत करवाया गया कि आवेदक श्री राजेश कुमार आचार्य पुत्र श्री सियाराम आचार्य द्वारा ख्यें के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमत्रण सूचना 01 राज्य राशीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 80 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिविनियत क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर लान-2031 में आवासीय आसक्षित है। भूमि शाखा प्रमाणी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर खाली पर्यावरण स्थित हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 56.88 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिकमण आवेदक के ख्यें के ख्यें पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री राजेश कुमार आचार्य पुत्र श्री सियाराम आचार्य से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 56.88 वर्गमीटर जारी

किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5. श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी स्व. श्री रडमल आचार्य द्वारा ख्यें के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशारी अधिकारी द्वारा आवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिकमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिकमण आवेदक के ख्यें के ख्यें पर हटा लिया जावेगा।

भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपति आमंत्रण सुनना 01 राज्य तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 50 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबिधित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आवश्यित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 121.52 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वायं के खर्च पर हत्या किया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पार्ड समिति द्वारा आवेदक श्रीमती सन्तारा देवी पत्नी स्व. श्री रुड्डमल आचार्य से नियमानुसार

शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 121.52 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

6. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रामप्रताप कुमावत द्वारा स्वायं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किया गया कि आवेदक श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रामप्रताप कुमावत द्वारा स्वायं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 26.11.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपति आमंत्रण सुनना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मोका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबिधित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आवश्यित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर साज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत 117.24 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे

१५/०२/२०२२

१५/०२/२०२२

१५/०२/२०२२

कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्थान के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रामप्रताप कुमार ते

वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7.

श्री अशोक कुमार सोनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सोनी द्वारा स्थान के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20.01.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सुचना 01 सञ्ज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कफिल अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 80 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मार्टर फ्लॉन-2031 में आवासीय आस्थित है। भूमि शाखा प्रमाणी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ छेत 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 140.38 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अव्यक्त महोदय नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी गय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्थान के खर्च पर हटा किया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री अशोक कुमार सोनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सोनी से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 140.38 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8.

श्री रामचन्द्र सैन, श्री रतनलाल सैन पुत्राण श्री रामेश्वरलाल सैन द्वारा स्थान के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री रामचन्द्र सैन, श्री रतनलाल सैन पुत्राण श्री रामेश्वरलाल सैन द्वारा रख्ये के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सुचना 01 सञ्ज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कफिल अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 01.02.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं

15/02/2022  
KJ

15/02/2022  
KJ

JK

JK

है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आस्थित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्थानित सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्थानित सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्थानित सिद्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा नितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक के खिलाफ एवं केंद्रीय पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री रामचन्द्र गोन, श्री रतनलाल सैन पुत्रगण श्री रामेश्वरलाल सैन से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 96.15 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसमाति से लिया गया।

9. श्री इकरामुदीन कुरेशी पुत्र श्री कमलदीन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आड़ा से सतरथ सचिव अधिशारी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री इकरामुदीन कुरेशी पुत्र श्री कमलदीन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अधियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 24.01.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 35 प्रतिशत निर्माण अवरिथत है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आस्थित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्थानित सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 138.22 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के खिलाफ एवं केंद्रीय पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री इकरामुदीन कुरेशी पुत्र श्री कमलदीन से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 138.22 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

.. श्री रमजान ख्यों कुरेशी पुत्र श्री छोट ख्यों द्वारा स्वयं के स्थानित के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री रमजान ख्यों कुरेशी पुत्र श्री छोट ख्यों द्वारा स्वयं के स्थानित के आवेदित भूखण्ड का स्टेट नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य रत्नरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर आवेदित भूखण्ड पर 40 प्रतिशत निर्माण अवश्यत है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर फ्लान-2031 में आवासीय आवश्यित है। भूमि शाखा प्रामाणी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्थानित सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरतावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर आँदा डेट 01.01.1990 से पूर्व का कड़ा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 220.49 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी शाय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिकमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि

अतः बाद विचार विमर्श प्रमाणवई जमिति द्वारा आवेदक श्री रमजान खॉ कुरेशी पुत्र श्री छोट खॉ से नियमानुसार शुल्क जमाना लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एवं 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 220.49 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

11. श्री सलीम कुरेशी पुत्र श्री छोटू ख्याँ द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का रेटेट ग्राउंड एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विवार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री सलीम कुरेशी पुत्र श्री छोटू ख्याँ द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का रेटेट ग्राउंड एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार 1961 के तहत आवासीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई अपत्ति अपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य रत्नरीय समाचार पत्र की मौका सिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 24.01.2022 की मौका सिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड मास्टर लान-2031 में 35 प्रतिशत निर्माण अवधित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभासी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की सिपोर्ट अनुसार दरतावेजों के अनुसार दरतावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दरतावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर्ट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कल्पा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्राउंड एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 178.54 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत

कर्तव्या गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री सलीम कुरेशी पुत्र श्री छोट खों से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

12. श्रीमती भगती देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल कुमावत द्वारा स्वयं के स्थानित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिकारी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्रीमती भगती देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल कुमावत द्वारा स्वयं के स्थानित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ परचात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 24.01.2022 की मौका सिपोट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 40 प्रतिशत निर्माण अवधित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिवक्षित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर ल्यान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की सिपोट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्थानित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर्ट अंक डेर्ट 01.01.1990 से पूर्व का कड़ा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 290.22 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा किया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्रीमती भगती देवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल कुमावत से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 290.22 गर्मीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

13. श्री मेहराज खों पुत्र श्री रुड़ा खों द्वारा स्वयं के स्थानित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिकारी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री मेहराज खों पुत्र श्री रुड़ा खों द्वारा स्वयं के स्थानित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ परचात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 25.11.2021 की मौका सिपोट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर

15/02/22  
रामेश्वर

15/02/22

रामेश्वर

90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतीबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मार्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का अवेदित भूखण्ड पर स्थानित सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 136.82 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के ख्यां के खर्च पर लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 136.82 वर्गमीटर जारी किये जाने को अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक खोल्क जमा लिया निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

14. श्री इसाक खों पुत्र श्री सादिक खों द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अध्यक्ष नहोदय की आड़ा से सदस्य गचिं अधिशाली अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री इसाक खों पुत्र श्री सादिक खों द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.11.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य राजीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अग्रियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 04.01.2022 की मोका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 75 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिविधित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर आँक डेट 01.01.1990 से पूर्व का कल्पा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 42.60 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति द्वारा आवेदक श्री इसाक खों पुत्र श्री सादिक खों से नियमानुसार खुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का रस्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 42.60 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

15/07/22  
मुमुक्षु  
मुमुक्षु

16.

कुल खसरे 03 कुल रक्खा 0.9 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर से ज्यक महोदय उओमोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 679, 680, 681 कुल खसरे 03 कुल रक्खा 0.9 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के कारण उक्त भूमि में अधिकारी और हित को पर्याप्तिन में 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना जारी 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई एवं प्रारूप-(13) की एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को भेजकर उक्त वर्णित भूमि के गैर-कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिवृति अधिकारी को निर्वापित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करते हेतु लिखा गया। उक्त आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना पर निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निरतारण कर दिया गया है। श्रीमाधोपुर तहसीलदार महोदय के पत्रांक 05 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा 90 (क) सुओमोटो किये जाने हेतु प्रारूप-(6) में सहमति दिलाई गई। उक्त भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) सुओमोटो आदेश जारी किये गये एवं एक प्रति सम्बन्धित खातेदारों को सूचनार्थ प्रेषित की गई। उपरोक्त 90-(क) सुओमोटो आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा उपरोक्त भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका के नाम से दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4105 दिनांक 20.01.2022 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में लो-आउट लान अनुमोदन एवं तकनीकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके 1600 / 308 / श्रीमाधोपुर / 2022 / 1255 दिनांक 01.02.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तों के अध्यधीन कृषि भूमि से अनुमोदन हेतु खानीय स्तरीय लो-आउट लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने अवधि प्रयोजनार्थ "लक्ष्मी नगर" योजना के अनुमोदन हेतु खानीय स्तरीय लो-आउट लान समिति को अवगत के संबंध में तकनीकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त खानीय उच्च खानालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554 / 2004 (गुलाब करवाया गया कि उक्त लो-आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च खानालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554 / 2004 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनीकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्वान सरकार के आदेश कमांक प.17(1)नवीनि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशों की पालना में खानीय एमावड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा खसरा संख्या 679, 680, 681 कुल खसरे 03 कुल रक्खा 0.9 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ "लक्ष्मी नगर" योजना का ले-आउट लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

15. प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य प्रमुख स्थानों पर प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 से सम्बन्धित होड़िग लगवाते हुए एवं वार्डवाईंज टीम गठित कर घर-घर पापलेट बटवाये जा रहे हैं। शहर के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से 02 अप्रृत्यक्ष 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के दोसरन वार्डवाईंज आयोजित किये जाने वाले कैम्पों की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार लगभग 365 पत्रावली प्राप्त हो चुकी हैं। जिन पर लिखित गति कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 209 पट्टे जारी किये जा चुके हैं।

अतः उक्त प्रकरण में एम्पावर्ड कमेटी के उपरित सदस्यों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दोसरन आमजन लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

15/02/2022

(हरिनारायणभृत्यक्ष  
अञ्जलिपालिका श्रीमाधोपुर  
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(रजत जैन)  
अधिकारी  
नगरपालिकाश्रीमाधोपुर

15/02/2022  
(मो. अजहर जाट)  
उप जिल्हा अमृतनगर अञ्जलि  
नगर पालिका नगरपालिका अञ्जलि  
नगर पालिका नगरपालिका अञ्जलि

(निश्चय लेखा प्रभारी)

लेखा प्रभारी  
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

15/02/2022  
(रक्षपाल स्वामी)  
विधि सलाहकार  
नगर पालिका श्रीमाधोपुर